

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(211)वित्त-1(1)आ.व्यय/2015/

जयपुर, दिनांक : 29/08/16

कोषाधिकारी,
सचिवालय, कोषालय
जयपुर, राजस्थान ।

(स्वीकृति संख्या - 307 /2016-17)

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान के पी.डी. खाते में राशि रूपये 29,74,20,000/-हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक एफ4 () परावि/पी.सी./निरायो/टाईलेट/2016-17/312 दिनांक 24.8.2016 (स्वीकृति संख्या 14/2016-17) में अंकित शर्तों के अनुसार निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान के निजी निक्षेप खाता संख्या 3988 में कुल राशिरु. 29,74,20,000/- (अक्षरे राशि रु. उनतीस करोड़ चोहत्तर लाख बीस हजार मात्र) निम्न बजट मद में से व्यय दर्शाते हुए हस्तान्तरित कर दी जावे :-

-:व्यय निम्नानुसार विकलेय है :-

बजट मद :- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		198 ग्राम पंचायतों को राहायता	
मांग सं. 41	मांग सं. 30	मांग सं. 51	योग (राशि लाखों में)
(22) पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष	(23) पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष	(24) पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष	
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां	[02] कार्यकलाप/गतिविधियां	[02] कार्यकलाप/गतिविधियां	
12 सहायतार्थ अनुदान (गैरसंवैतन) आयोजना	12 सहायतार्थ अनुदान (गैरसंवैतन) आयोजना	12 सहायतार्थ अनुदान (गैरसंवैतन) आयोजना	
2081.94	356.90	535.36	2974.20
अक्षरे राशि रु. बीस करोड इक्यासी लाख चोरानवे हजार मात्र	अक्षरे राशि रु. तीन करोड छप्पन लाख नब्बे हजार मात्र	अक्षरे राशि रु. पांच करोड पैंतीस लाख छत्तीस हजार मात्र	अक्षरे राशि रु. उनतीस करोड चोहत्तर लाख बीस हजार मात्र

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में संबंधित विभाग का नाम, इस स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक, भुगतान मद का विवरण एवं आयोजना दर्शाते हुए अंकित किया जावे।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा। राजस्थान लोक उपापन एवं पारदर्शिता अधिनियम/नियम के प्रावधानों की पालना प्रशासनिक विभाग के स्तर पर सुनिश्चित की जावे।

भवदीय

- Selu

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (बजट)



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक: एफ 4() परावि/पीसी/निरायो/टॉईलेट/2016-17/ 312

जयपुर, दिनांक : 24/8/2016

(प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या - 14/2016-17)

वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों को शौचालयों के रख-रखाव हेतु कुल राशि 29,74,20,000/- (अक्षरे राशि रु. उनतीस करोड़ चोहत्तर लाख बीस हजार मात्र) निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान के पी.डी. खाता संख्या 3988 में हस्तान्तरण किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु प्रावधित राशि एवं महिला तथा बालिकाओं पर व्यय हेतु जेण्डर बजट हेतु प्रावधित 48 प्रतिशत राशि का व्यय इन वर्गों के कल्याणार्थ किया जावेगा। इस राशि का विकलेय मद निम्न प्रकार है :-

बजट मद :- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम				198 - ग्राम पंचायतों को सहायता			
मांग सं. 41		मांग सं. 30		मांग सं. 51		योग (राशि लाखों में)	
(22)	पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बंध कोष	(23)	पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बंध कोष	(24)	पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बंध कोष		
[02]	कार्यकलाप/गतिविधियां	[02]	कार्यकलाप/गतिविधियां	[02]	कार्यकलाप/गतिविधियां		
12	सहायतार्थ अनुदान (गैरसंवैतन) आयोजना	12	सहायतार्थ अनुदान (गैरसंवैतन) आयोजना	12	सहायतार्थ अनुदान (गैरसंवैतन) आयोजना		
2081.94		356.90		535.36		2974.20	
अक्षरे राशि रु. बीस करोड़ इक्यासी लाख चौरानवे हजार मात्र		अक्षरे राशि रु. तीन करोड़ छप्पन लाख नब्बे हजार मात्र		अक्षरे राशि रु. पांच करोड़ पैंतीस लाख छत्तीस हजार मात्र		अक्षरे राशि रु. उनतीस करोड़ चोहत्तर लाख बीस हजार मात्र	

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या 271600304 दिनांक 04.08.2016 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है। आवंटित राशि से अधिक का व्यय नहीं किया जावे एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम/नियम की पालना सुनिश्चित की जावे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राजेन्द्र शेखर मक्कड)

अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, को प्रेषित कर अनुरोध है कि राशि रु. 2974.20 लाख निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान के पी.डी. खाता संख्या 3988 में हस्तान्तरण के राज्यादेश शीघ्र जारी कराने का श्रम करावें।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
7. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग।
8. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, द्वितीय तल, ब्लॉक-5, डॉ. एस.राधाकण्णन, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग जयपुर को भेजकर लेख हैं कि आपके पत्रांक राप्रशिप/SWSHE/S.Grant/16-17/SPL-1 दिनांक 1.7.2016 के क्रम में राशि रु. 441.30 लाख का समायोजन करते हुये शेष राशि रु. 2974.20 लाख हस्तान्तरित की जा रही है।
9. आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, ब्लॉक-6, डॉ. एस.राधाकण्णन, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग जयपुर।
10. प्रोग्रामर मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
11. लेखा, सांख्यिकी/अंकमिलान/संकलन शाखा, मुख्यालय/रक्षित पत्रावली।

(संजय शर्मा)

अधिशापी अभियन्ता (टी.सी.)